न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

अपील संख्या 06/2017

श्री हीरालाल शर्मा पुत्र स्व0 श्री रामचरण शर्मा निवासी, 130/51(नया) व 130/12 (पुराना) लक्ष्मीनारायण गली, हाथी भाटा, अजमेर जिला अजमेर। ....अपीलान्ट

बनाम

1. श्री मोहित शर्मा
2. श्री शोभित शर्मा

पुत्रगण श्री हीरालाल शर्मा निवासी –130/51 (नया) व 130/12 (पुराना) लक्ष्मीनारायण गली, हाथी भाटा, अजमेर जिला अजमेर। ....रेस्पोडेन्टस

माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 16 के के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पर अधिनस्थ अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 5.12.2016 के विरूद्ध अपील

आदेश दिनांक :– 24.05.2017

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 4, 5 सपठित धारा 24, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया था कि प्रार्थी एक 61 वर्षीय वृद्ध, विभिन्न बिमारियों से ग्रस्त व्यक्ति है। आय का कोई साधन नहीं है। भरण पोषण हेतु अपने पुत्रो पर आश्रित है। अप्रार्थीगण का प्रार्थी के प्रति व्यवहार ठीक नहीं है, अप्रार्थीगण से भरण पोषण हेतु राशि दिलवाये जाने के आदेश हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अधिनस्थ अधिकरण द्वारा सरसरी तौर पर बिना किसी आधार के निर्णय दिनांक 5.12.2016 द्वारा खारिज कर दिया गया। इसी आदेश से असन्तुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधिनस्थ अधिकरण का प्रश्नगत आदेश अपास्त करने एवं प्रत्यर्थीगण से मुआवजा राशि दिलवाये जाने की इस्तदुआ के इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पों. को नोटिस जारी किये गये तथा अधिनस्थ न्यायालय से सम्बन्धित रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पों0 सं0 02 स्वयं उपस्थित आये। रेस्पो0 सं0 01 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये। दौराने सुनवाई रेस्पो0 कोई भी उपस्थित नहीं आये। उपस्थित अपीलान्ट को एक पक्षीय सुना गया।

अपीलान्ट ने मुख्यतः निवेदन किया कि अपीलार्थी एक 61 वर्षीय वृद्ध, विभिन्न बिमारियों से ग्रस्त व्यक्ति है। अपीलान्ट के पास आय का कोई साधन नहीं है। दोनो लडके शादी शुदा थे परन्तु वर्तमान में दोनों का विवाह–विच्छेद हो चूका है। रेस्पो0 द्वारा अग्रेजी नस्ल का कुत्ता पाल रखा है, किन्तु अपीलान्ट के प्रति अपना नैतिक दायित्व का निर्वहन नहीं किया जा रहा है। रेस्पोडेन्ट्स जिस मकान में रहते है वह

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

अपीलान्ट की स्वअर्जित सम्पति है। दोनो का व्यवहार अपीलान्ट के प्रति ठीक नहीं है। वर्तमान में अपीलान्ट किसी प्रकार की कोई आय अर्जित करने में असमर्थ है ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट का नैतिक दायित्व है कि अपीलान्ट का भरण पोषण एवं सेवा सुश्रूषा करें। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ अधिकरण द्वारा पारित आदेश अपास्त किया जाकर दोनो प्रर्त्थीगण से अपीलार्थी को प्रति माह भरण पोषण राशि दिलाये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

हमने अपील तथ्यों एवं रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन मनन किया। अपीलान्ट द्वारा हमारे समक्ष व्यक्त कथनों व अधिनस्थ अधिकरण द्वारा पारित आदेश पर समस्त दृष्टिकोण से विवेचन किया गया। अपीलान्ट द्वारा ऐसे कोई ठोस नये तथ्य, साक्ष्य सबूत के प्रस्तुत नहीं किये गये है जिससे अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जावें। अतः अपील चलने योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 24.05.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(गौरव गोयल)
जिला मजिस्ट्रेट एवं पीठासीन अधिकारी
अपीलीय भरण पोषण न्यायाधिकरण
अजमेर

Scanned by CamScanner